लापरवाही | चार माह पहले भेजा गया था सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव, नहीं लग पाई मुहर

1,000 कैमरे लगाने वाली फाइल खा रही धूल

जबलपुर। बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के साथ अपराधियों की धरपकड़, चालानी कार्यवाही में सीसीटीव्ही कैमरे की अहम भूमिका होती है। जिले में सीसीटीवी कैमरा की संख्या को और बढ़ाने के लिए चार माह पूर्व मुख्यालय प्रस्ताव भेजा गया था। नई लोकेशन पर 1000 कैमरे और लगाए जाने की डिमांड की गई थी लेकिन यह प्रस्ताव वहां धूल खा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और चाक-चौबंद करने वाला कैमरों का प्रस्ताव मुख्यालय में धूल फांक रहा है।

वर्तमान में शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में लगे कैमरे कई बार तकनीकी खराबी या कम संख्या के कारण नाकाफी साबित हो रहे हैं। अपराध के बदलते तरीकों के बीच पुलिस को सर्विलांस सिस्टम मजबूत करने की सख्त जरूरत है। शातिर अपराधियों के भागने वाले रास्तों को ट्रैक करने और चेन स्नैचिंग, लूट एवं चोरी अन्य वारदातों को रोकने और आरोपियों की पहचान

के लिए संवेदनशील प्वाइंट्स पर हाईटेक कैमरे लगाना बेहद जरूरी है। जिस पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है यदि ये कैमरे समय पर मिल जाते, तो न केवल ट्रैफिक मॉनिटरिंग और ई-चालान की कार्रवाई में तेजी आती, बल्कि शहर के ब्लैक स्पॉट्स को भी सुरक्षित घेरे में लिया जा सकता था लेकिन इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारों की नींद कब टूटती है और धूल खा रहे इस जरूरी प्रस्ताव को कब हरी झंडी मिलती है।

कैमरे ठप्प या फुटेज धुंधले

पुलिस की तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीव्ही कैमरे कई बार धोखा दे देते है अपराधियों की शिनाख्तगी में अहम रोल निभाने वाले सीसीटीव्ही कैमरे कई स्थानों पर या तो ठप्प पड़े है या उनके फुटेज धुंधले आ रहे है। जिसके चलते कई मामलो में अपराधी तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है । ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था, जलसा जुलूस और अपराधों की रियल टाइम निगरानी नहीं हो पाती है। कैमरों का मेंटेनंस पुलिस का रेडियो विभाग ठेका कम्पनी के माध्यम कराता है। इन कैमरों के कई बार बंद होने के कारण कई स्थानों पर लाइव लोकेशन पुलिस कंट्रोल रूम को नहीं मिल पाती है।

अभी 615 कैमरों से होती है निगरानी

शहर में 615 कैमरों से निगरानी होती है। इन कैमरों की निगरानी सीधे कंट्रोल रूम से की जाती है। सूत्रों की माने तो हर दिन 10 से 20 प्रतिशत कैमरे ठप्प हो जाते है। तकनीकी खराबी आने से कैमरे बंद हो जाते है ऐसे में बंद पड़े क्षेत्र में अपराध हो जाए तो आरोपी की शिनाख्ती में पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बंद पड़े कैमरों को समय पर सुधारा भी नहीं जाता है इस ओर न तो ठेका कंपनी ध्यान देती है और नहीं अफसर इस ओर ध्यान दे रहे है।

ऐसी लोकेशन पर लगने है कैमरे

जिले में सीसीटीवी कैमरों की संख्या में और इजाफा किया था। इसके अलावा कई ऐसे भी इलाके है जहां रात में सड़के सूनी हो जाती है वहां कैमरे लगते थे। साथ ही जहां महिलाओं संबंधित अपराध बढ़े है या जिन लोकेशन से महिलाओं को अधिक आवागमन होता है एवं जहां महिलाओं की संख्या अधिक है ऐसी लोकशन भी चिन्हित की गई थी जहां कैमरे लगने है।

इनका कहना है

मई माह में लगभग 1000 नए कैमरे लगाने का प्रस्ताव भोपाल भेजा गया था। इस पर मुख्यालय स्तर पर काम चल रहा है।

एस.एन इक्का
सीसीटीव्ही प्रभारी

पिता को लेने गए युवक की एक्सीडेंट में मौत

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत ग्राम मन्नी महगंवा पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक रात को अपने पिता को लेने निकला था, जिसके बाद सुबह सड़क किनारे उसकी लाश और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, ग्राम भोंरदा निवासी सुरेन्द्र सिंह गौंड़ (33) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे उसका छोटा भाई नरेन्द्र सिंह गौंड़ (26) अपने पिता को लेने के लिए उड़ना सड़क गया हुआ था। देर रात तक जब नरेन्द्र घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों को चिंता हुई। उन्होंने नरेन्द्र के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन फोन बंद आता रहा। परिजनों ने सोचा कि शायद रात अधिक होने के कारण नरेन्द्र अपने किसी दोस्त के घर रुक गया होगा और वे सो गए।बुधवार की सुबह करीब 8 बजे सुरेन्द्र को सूचना मिली कि मन्नी महगंवा पेट्रोल पंप के पास उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब सुरेन्द्र मौके पर पहुंचा, तो नरेन्द्र सड़क किनारे अपनी मोटरसाइकिल सहित मृत अवस्था में मिला। सड़क दुर्घटना के कारण नरेन्द्र की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।

मौत का फंदा खुला, जिंदगी सलाखों में हुई कैद

शहडोल में मासूम बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के मामले में हाईकोर्ट का फैसला

जबलपुर। हाईकोर्ट ने शहडोल जिले में तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए आरोपी की फांसी फंदा खोल दिया है, लेकिन उसकी जिंदगी सलाखों में कैद कर दी है। न्यायालय ने फांसी की सजा को 25 वर्ष की उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी को 25 वर्ष की सजा पूरी होने तक किसी प्रकार की माफी या सजा में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने जिला एवं सत्र न्यायालय बुढ़ार द्वारा भेजे गए डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। मुख्य आरोपित रामनारायण ढीमर को अधीनस्थ अदालत ने 13 जनवरी 2026 को मृत्युदंड सुनाया था। अभियोजन के अनुसार एक मार्च, 2023 की रात शहडोल जिले के खैरहा थाना क्षेत्र के ग्राम छिरहटी में आरोपी ने पड़ोस की तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी। हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्र, उसके आपराधिक इतिहास और सुधार की संभावना को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है और 32 वर्ष की उम्र में उसके सुधार व पुनर्वास की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए मामला रेयररेस्ट आफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता। मामले में आरोपी की पत्नी पिंकी और दोस्त राजकुमार को अधीनस्थ अदालत द्वारा दी गई चार-चार वर्ष की सजा भी हाईकोर्ट ने निरस्त कर दोनों को बरी कर दिया।

किसानों के खेतों से तीन दिन में हटाए सामग्री

हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर जिले के छह किसानों के खेतों में रखी लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण सामग्री तीन दिन के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने नरसिंहपुर कलेक्टर रजनी सिंह को किसानों की जमीन को उसके मूल स्वरूप में लौटाकर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। मामले में वर्ष 2021 में छह किसानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ग्राम जामुन पानी और भोरपानी, तहसील तेन्दूखेड़ा स्थित उनकी कृषि भूमि पर सड़क निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। सुनवाई के दौरान कलेक्टर रजनी सिंह स्वयं हाईकोर्ट में उपस्थित हुईं। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन पर सड़क का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि लोक निर्माण विभाग की सड़क निर्माण सामग्री वहां रखी गई है। शासन की ओर से तर्क दिया गया कि सामग्री पीडब्ल्यूडी की है और जिला प्रशासन का इससे सीधा संबंध नहीं है। इस पर डिवीजन बेंच ने कहा कि कलेक्टर जिले के प्रभारी हैं और विभागीय स्तर पर समस्या का समाधान सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर सामग्री हटाकर किसानों के खेतों को मूल स्थिति में बहाल करने तथा अगली सुनवाई में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।

हाईस्कूल की भूमि पर हेलीपैड का प्रस्ताव हाईकोर्ट पहुंचा

जबलपुर। भेड़ाघाट स्थित शासकीय हाई स्कूल की भूमि एवं खेल मैदान के एक हिस्से को पर्यटन गतिविधियों के लिए हेलीपैड के रूप में उपयोग करने के प्रस्ताव का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अधिवक्ता अश्मिता चांद द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की युगलपीठ ने प्रशासन से आवश्यक निर्देश प्राप्त करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को निर्धारित की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके पांडे व सिद्धार्थ पांडे ने पैरवी की। याचिका में बताया गया कि नगर परिषद भेड़ाघाट ने प्रस्ताव क्रमांक 79 31 दिसंबर 2011 के माध्यम से लगभग चार एकड़ भूमि, खसरा नंबर 80 व 81 शासकीय हाई स्कूल के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया था। इसके बाद वर्ष 2012 में उक्त भूमि पर स्कूल भवन का निर्माण किया गया। वर्तमान में यहां कक्षा नौवीं एवं 10 वीं के लगभग 113 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि स्कूल परिसर में पर्याप्त बाउंड्रीवाल नहीं होने से विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इसके बावजूद स्कूल के खेल मैदान के एक हिस्से में पर्यटन गतिविधियों के लिए हेलीपैड स्थापित करने का प्रस्ताव सामने आया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि हेलीपैड से शोर, वाहनों की आवाजाही और सुरक्षा संबंधी व्यवधान बढ़ेंगे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं खेल गतिविधियां प्रभावित होंगी। याचिका में स्कूल की भूमि का उपयोग बदलने पर रोक, हेलीपैड स्थापित नहीं करने तथा बाउंड्रीवाल व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।

संभागायुक्त ने की स्वास्थ्य एवं पोषण अभियान की सघन समीक्षा

संक्रामक रोगों की रोकथाम की सतत मॉनीटरिंग के दिए निर्देश

नवभारत,जबलपुर। संभागायुक्त धनंजय सिंह की अध्यक्षता में संभाग के कलेक्टर्स एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, जनजातीय कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि एवं संबंद्ध विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वर्षाजनित संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं त्वरित उपचार, दस्तक, सह.स्टॉप ,डायरिया अभियान, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान संभागायुक्त ने स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाओं, आवश्यक उपकरण, एंबुलेंस, दवाइयों एवं पर्याप्त बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाओं की सघन मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण आहार की ली जानकारी

संभागायुक्त द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति एवं पोषण आहार वितरण, छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं तथा दूरस्थ एवं रिमोट क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने दूरस्थ गांवों में बच्चों एवं परिवारों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने एवं वर्षाजनित रोगों की रोकथाम एवं त्वरित उपचार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा के दौरान शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, पेयजल स्रोतों का नियमित परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही गौशालाओं के संचालन, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशुओं के टीकाकरण की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त श्री सिंह ने ये भी निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारी फील्ड में सघन निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें एवं योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की सतत मॉनिटरिंग करें।उन्होंने आहार अनुदान योजना की जिलेवार समीक्षा भी की।

सुबह से शाम तक 24 .3 मिमी बरसे बदरा, मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा

रिमझिम बारिश का दौर उफनाई नर्मदा, खुल सकते बरगी बांध के गेट

जबलपुर। शहर में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। मंगलवार की रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का सिलसिला बुधवार को सुबह से जारा रहा। तड़के से ही शहर में लगातार रिमझिम फुहारें पड़ी।

आसमान में सुबह से ही घने काले बादलों का डेरा रहा, जिसके चलते सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं और दिन में भी शाम जैसा नजारा

बना रहा। शाम ढलने के बाद भी बारिश का दौर रुक-रुक कर जारी है। मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा 627.9 मिमी पर पहुंच गया। सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक 24.3 मिमी बारिश दर्ज हुई। बारिश के दौर से नर्मदा भी उफान पर आ गई है।

सुबह 8 बजे बरगी बांध का जल स्तर 421.85 मीटर एवं जल भराव 93.33 प्रतिशत रहा वर्तमान जल आवक 707 क्यूमेक है वर्षा, मौसम पूर्वानुमान एवं संभावित जल आवक को दृष्टिगत रखते हुए आज प्रात: 11 बजे आवश्यकता पड़ने पर 5 जल द्वार लगभग 1.00 मीटर तक खोले जा सकते हैं, जिससे लगभग 760 क्यूमेक जल निकासी संभावित है।

इससे नर्मदा के घाटों पर जल स्तर में लगभग 3 से 4 फीट वृद्धि संभावित है। वास्तविक जल आवक एवं बांध के जल स्तर के अनुसार जल निकासी में परिवर्तन किया जा सकता है। वहीं लगातार हो रही इस मानसूनी बारिश से ठंडक घुल गई है। चौबीस घंटे में भारी वर्षा की संभावना है।

चार घंटे बंद रही बिजली

बारिश के साथ बिजली की आंख मिचौली से भी उपभोक्ता को खासी परेशानी हुई। चिकनी कुआं गढ़ा अंतर्गत दुबे कालोनी , देवताल गढ़ा, बघाताल,लढिया मोहल्ला आदि क्षेत्रों में सायंकाल 4 बजे से पौने आठ बजे और समाचार लिखे जाने तक बिजली गुल हो जाने से लोगों के लिए बड़ी परेशानी उत्पन्न हो गई है। क्षेत्र के गजेन्द्र दुबे, सतेंद्र चौरसिया, अजय अहिरवार, गिरीश कश्यप, संजय शुक्ला, मुईन खान आदि ने विद्युत मंडल के गढ़ा संभाग सहित विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए निर्धारित 1912 में शिकायत दर्ज कराई और तुरंत राहत की मांग की लेकिन देर रात तक राहत नहीं मिली।

चित्रकूट एक्सप्रेस का भीमसेन जंक्शन पर प्रायोगिक ठहराव

जबलपुर। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा और बेहतर रेल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए जबलपुर-लखनऊ जंक्शन चित्रकूट एक्सप्रेस (15206) को भीमसेन जंक्शन स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 10 सितंबर से शुरू होगी। ट्रेन जबलपुर से 9 सितंबर को रवाना होकर अगले दिन भीमसेन जंक्शन पहुंचेगी, जहां यात्रियों को नए ठहराव की सुविधा मिलेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 15206 चित्रकूट एक्सप्रेस का भीमसेन जंक्शन स्टेशन पर सुबह 6 :40 बजे आगमन और 6 :42 बजे प्रस्थान होगा। दो मिनट के इस ठहराव से क्षेत्र के यात्रियों को जबलपुर, लखनऊ समेत मार्ग के प्रमुख शहरों तक आवागमन में सुविधा मिलेगी।

पैरोल से फरार हुआ दंडित बंदी

हत्या, अपहरण, लूट प्रकरण में काट रहा था सजा

जबलपुर। हत्या, अपहरण, लूट मामले में सजा काट रहा बंदी पैरोल अवधि पूरी होने पर जेल नहीं लौटा। मामले में सिविल लाइन पुलिस ने दण्डित बंदी, जमानतदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक बुधवार को राजकुमार दास 59 वर्ष निवासी जेल लाईन सिविल लाईन ने लिखित शिकायत की कि वह नेताजी सुभाष चंद बोस केन्द्रीय जेल जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत है, दण्डित बंदी जाहिद उर्फशहिद पिता खलील खान 38 वर्ष घसियारी मोहल्ला जिला सिवनी को सत्र प्रकरण क्रमांक 167/11 अपराध 392, 364, 302, 201 में अपर सत्र न्यायाधीश अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा म.प्र. द्वारा पारित निर्णय 2 जून 2012 को सजा 3 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन कारावास, 3 वर्ष व जुमार्ना 4 हजार रूपये जमा न करने पर 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया था। जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल के आदेश 8 जुलाई 26 के पालन में दण्डित बंदी जाहिद उर्फशहिद पिता खलील खान को अस्थाई मुक्ति 142 दिवस (द्वितीय भाग) के लिये 17 अगस्त को रिहाकर 1 सितम्बर 26 को जेल दाखिल होने की सूचना दी गई थी किन्तु दण्डित बंदी जेल प्रवेश न होकर पैरोल से फरार हो गया है। बंदी के जमानतदार रियाजुद्दीन निवासी गांधी वार्ड थाना सिवनी की 50 हजार रूपये की जमानत निष्पादित की गई है। जमानतदार द्वारा बंदी छुट्टी हेतु सम्पूर्ण जबावदी ली गयी किन्तु जमानतदार द्वारा बंदी को जेल दाखिल नहीं करवाया गया। दण्डित बंदी जाहिद उर्फशहिद खान एवं जमानतदार रियाजुद्दीन के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।

हिरन नदी में मिली युवक की लाश

जबलपुर। मझगवां थाना अंतर्गत ग्राम गाड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब घर से लापता एक युवक का शव हिरन नदी में उतराता हुआ मिला। युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम गाड़ा मझगवां का निवासी अशोक कोल पिता जवाहर कोल 35 वर्ष अपने परिजनों को यह सूचना देकर घर से निकला था कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा है। जब देर रात तक अशोक वापस घर नहीं लौटा, तो परिजनों की चिंता बढ़ने लगी। अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों ने रात में ही अपने स्तर पर उसकी हर संभावित जगह तलाश की, रिश्तेदारों और उसके दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन अशोक का कहीं कोई पता नहीं चल सका। सुबह जब ग्रामीण रोजमर्रा के कार्यों के लिए हिरन नदी के गाड़ा घाट की ओर गए, तो उन्होंने पानी में एक लाश को उतराते हुए देखा। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल मृतक के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने पास जाकर देखा तो वह शव लापता अशोक कोल का ही था।

फैक्ट्री की दीवार गिरी, दो की मौत, स्क्रैप निकालते समय हादसा

जबलपुर। मदन महल थाना अंतर्गत राईट टाउन स्थित टेलीकॉम फैक्ट्री में बुधवार को स्क्रैप निकालते समय दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबने से दो श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से ही फैक्ट्री परिसर में हड़कंप मच गया और चीख-पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसतुरंत मौके पर पहुँची और मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

मदन महल थाना प्रभारी उमेश यादव ने बताया कि टेलीकाम कम्पनी है । फैक्ट्री के अंदर डिस्पोजल गोदाम के बाजू वाला गोडाउन में ए.एस.स्टील

जयपुर के फार्म के ठेकेदार जाकिर हुसैन 48 वर्ष निवासी सुदामापुरी शास्त्रीनगर जयपुर राजस्थान के द्वारा श्रमिकों से काम करा रहे थे। स्क्रैप की नीलामी का ठेका उन्हें मिला था ।सुबह स्क्रैप निकाला जा रहा था। गोदाम का टीम शेड खोलते समय सुबह करीब 11:10 बजे दीवार गिरने से मोहम्मद अकबर अहमद अंसारी 40 वर्ष निवासी अंसार नगर चौपड़ा रद्दी चौकी गोहलपुर एवं अब्दुल वसीर उर्फ नसीम 33 वर्ष निवासी मूलत: बालूभरत विशन नगर जिला मालदा पश्चिम बंगाल वर्तमान निवासी मोहल्ला थाना ओमती दब गए दोनों की मौत हो गई। ।मामले की सूचना कंपनी के अधिकारी मोहनलाल मेहरा 56 वर्ष ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को पीएम के लिए भिजवाते हुये मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि कहीं सुरक्षा इंतजामों में कोई चूक या लापरवाही तो नहीं थी।

रीमॉडलिंग | प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 15 अक्टूबर तक चलेगा

बीना-आगासौद यार्ड रीमॉडलिंग से 20 ट्रेनें रहेंगी निरस्त

जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे के बीना और उत्तर मध्य रेलवे के आगासौद स्टेशनों के बीच तीसरी रेल लाइन को जोड़ने के लिए दोनों स्टेशनों पर यार्ड रीमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का काम 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा। इसके चलते रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित परिचालन को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में ट्रेनों को निरस्त, शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट करने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक यात्रा तिथियों में ललितपुर-बीना एवं बीना-ललितपुर मेमू, बीना-कटनी मुड़वारा मेमू, जबलपुर-हजरत निजामुद्दीन एवं वापसी की श्रीधाम एक्सप्रेस, भोपाल-ग्वालियर इंटरसिटी, ग्वालियर-एसएमवीटी बेंगलुरु एक्सप्रेस सहित कुल 20 ट्रेनों के फेरे प्रभावित रहेंगे।

कुछ ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट

यार्ड रीमॉडलिंग के चलते कई ट्रेनों के गंतव्य और प्रारंभिक स्टेशन में भी बदलाव किया गया है। कटनी-बीना मेमू को खुरई पर समाप्त तथा बीना-कटनी मेमू को खुरई से प्रारंभ किया जाएगा। कोटा-बीना मेमू महादेवखेड़ी जंक्शन पर समाप्त और बीना-

कोटा मेमू मुंगावली से प्रारंभ होगी। बिलासपुर-भोपाल और भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस भी निर्धारित अवधि में भोपाल के बजाय बीना मालखेड़ी जंक्शन तक ही संचालित की जाएंगी। इसी तरह भोपाल-बीना और बीना-भोपाल मेमू समेत कुछ अन्य ट्रेनों को मंडीबमौरा से शॉर्ट टर्मिनेट अथवा ओरिजिनेट किया जाएगा। 15 अक्टूबर को नई दिल्ली-रानी कमलापति और रानी कमलापति-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस भी रानी कमलापति के बजाय ललितपुर तक ही संचालित होगी।

परिचालन की क्षमता बढ़ेगी

इसके अलावा ग्वालियर-बीना, बीना-दमोह, दमोह-बीना और बीना-ग्वालियर सवारी गाड़ियों के गंतव्य में परिवर्तन करते हुए इन्हें मालखेड़ी तक विस्तारित अथवा मालखेड़ी से प्रारंभ किया जाएगा। नागदा-बीना और बीना-नागदा ट्रेनों को भी निर्धारित अवधि में कटनी मुड़वारा तक विस्तारित प्रारंभ किया जाएगा और ये ट्रेनें फ्लाईओवर के माध्यम से बीना स्टेशन को पार करेंगी। रेलवे के अनुसार यार्ड रीमॉडलिंग पूरी होने के बाद बीना और आगासौद यार्ड की परिचालन क्षमता बढ़ेगी, जिससे ट्रेनों के संचालन और ठहराव का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इससे भविष्य में बढ़ते रेल यातायात को संभालने के साथ परिचालन की दक्षता, विश्वसनीयता और समयपालन में भी सुधार होने की उम्मीद है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57